इलेक्शन टुडे

दिनांक - 31 अक्टूबर 2018 अंक – 23

विधानसभा आम चुनाव -2018

दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव प्रसारण के लिये राजनैतिक दलों को समय का आवंटन

भोपाल : बुधवार, 31 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव प्रसारण के लिये सात राजनैतिक दलों को दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारण के लिये समय आंवटित कर दिया गया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 45-45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 68-68 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 206-206 मिनट, सीपीआई को 46-46 मिनट, सीपीआईएम को 45-45 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 175-175 मिनट और एनसीपी को 46-46 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

आकाशवाणी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीआई (M), सीपीआई, एनसीपी और एआईटीसी को 16 से 23 नवम्बर तक (रविवार को छोड़कर) शाम 6 बजे से 6:05 तक 5-5 मिनट का, 6:05 से 7 बजे तक 10-10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और 16 से 24 नवम्बर तक (रविवार को छोड़कर) शाम 7:30 से 8:05 तक 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया गया और 8:10 बजे से 8:20 मिनट तक 10-10 मिनट का समय दिया गया। साथ ही 8:20 बजे से 8:25 तक 5-5 मिनट का समय निर्धारित किया गया। इसमें 16 नवम्बर को 8:10 से 8:20 बजे, 17 से 21 नवम्बर तक 8:20 बजे से 8:25 बजे एवं 24 नवम्बर को 8:20 बजे से 8:25 मिनट के अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक दल को समय नहीं दिया गया। यह सुविधा क्षेत्रीय एवं ऑल इंडिया रेडियों पर प्राप्त होगी।

प्रसार भारती ने दूरदर्शन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीआई(M), सीपीआई, एनसीपी और एआईटीसी को 17 से 24 नवम्बर तक (रविवार को छोड़कर) रात्रि 8:20 बजे से 10:41 बजे तक 15-15 मिनट का समय दिया गया। साथ ही 25 नवम्बर को 8:20 बजे से 9 बजे तक बीजेपी को 11 मिनट, प्रोमो को 4 मिनट, बीएसपी को 8 मिनट, प्रोमो को 1 मिनट, सीपीआई को 1 मिनट, प्रोमो को 5 मिनट और आईएनसी को 10 मिनट का समय दिया गया। इसमें 21 नवम्बर को रात्रि 8:20 बजे से 8:35 बजे तक और 24 नवम्बर को रात्रि 9:23 बजे से 9:38 बजे तक किसी भी राजनैतिक पार्टी को समय नहीं दिया गया।

दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव प्रसारण के लिए निर्धारित समय में देश, धर्म और समुदाय की बुराई अथवा विरोध करना किसी पर आरोप अथवा मानहानि करना व्यक्ति के नाम से अथवा व्यक्तिगत लांछन लगाना, हिंसा को बढ़ावा देना, न्यायालय की अवमानना करना, राष्ट्रपति तथा न्यायापालिका पर आक्षेप लगाना, देश की एकता और अखण्डता को प्रभावित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

आदर्श आचरण संहिता लागू होने के उपरांत 7 कार्यो को आयोग की अनुमति

भोपाल : बुधवार, 31 अक्टूबर, 2018। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री लोकेश जाटव ने बताया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की स्वीकृति के लिये राज्य स्तरीय श्रेणी कमेटी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किये जा रहे हैं। छः अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2018 के मध्य 29 प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को स्वीकृति के लिये प्रेषित किये गये, जिनमें से 7 प्रस्तावों पर भारत निर्वाचन आयोग ने अनुमति प्रदान की है। शेष प्रस्ताव विचारधीन है।

प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा दिनांक 6 अक्टूबर 2018 से ही आदर्श आचार संहिता लागू है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे कार्य, जो आदर्श आचरण संहिता की घोषणा की

दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, वह कार्य अब निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। आदर्श आचरण संहिता की अवधि में पूर्व से स्वीकृत एवं शुरू योजनाओं का संचालन विधिवत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कुछ कार्यो का क्रियान्वयन आदर्श आचरण संहिता की अवधि तक रोका जाना संभव नहीं हो, ऐसे कार्यो के प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे जाने के निर्देश हैं। उक्त कमेटी में अध्यक्ष मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग(समन्वय) एवं जिस विभाग का प्रस्ताव है उस विभाग के सचिव अथवा प्रमुख सचिव, समिति के सदस्य हैं।

===

विधानसभा आम चुनाव -2018

वाहनों के दुरूपयोग पर 8 हजार 743 प्रकरण पंजीबद्ध

भोपाल : बुधवार, 31 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2018 तक प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 24 हजार 229 गैर जमानती वारंट तामील करवाये गये हैं। साथ ही 2 हजार 253 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और 2 लाख 45 हजार 190 शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 15 लाख 3 हजार 233 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, जिनमें से 14 लाख 52 हजार 643 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 11 लाख 72 हजार 685 प्रकरण पंजीबद्ध कर 11 लाख 40 हजार 849 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 3 लाख 30 हजार 548 प्रकरण पंजीबद्ध कर 3 लाख 11 हजार 794 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। वाहनों के दुरूपयोग पर 8 हजार 743 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

===